निदेशालय तकनीकी शिक्षा,
व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, हिमाचल प्रदेश सुन्दरनगर

दूरभाषः 01907-267416 ई-मेलः traininghp@rediffmail.com

संख्या एसटीवी(आई०टी०)एच-एफ(7)-23/प्राइवेट परीक्षा/2021-9415-9515 दिनांक 11/02/2021

प्रेषित,

प्रधानाचार्य,
समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
हिमाचल प्रदेश।

विषयः औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सी०टी०एस० के अंतर्गत चल रहे व्यवसायों की अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा में प्राईवेट तौर पर बैठने की अनुमति बारे।

महोदय/ महोदया,

भारत सरकार, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, प्रशिक्षण महानिदेशालय के पत्र MSDE-19/02/2018-CD दिनांक 26-02-2019 एवं इस संदर्भ में दिनांक 11-02-2019 को जारी दिशा-निर्देशों के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है, कि आप सी०टी०एस० के अंतर्गत चल रहे व्यवसायों की अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा में प्राईवेट तौर पर बैठने बारे निम्न दिशा-निर्देशों (प्रशिक्षण महानिदेशालय के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के कुछ अनिवार्य अंश हिन्दी में पुनः उल्लेखित किए गये हैं) के अनुसार मामले इस निदेशालय को दिनांक तक भेजना सुनिश्चित करें।

अभ्यार्थियों की पात्रताः

वर्ग-1 : सी०टी०एस० के अंतर्गत आई०टी०आई० उतीर्ण प्रशिक्षणार्थी,

वर्ग-2 : सी०ओ०ई० अंतर्गत आई०टी०आई० उतीर्ण प्रशिक्षणार्थी,

वर्ग-3 : एस०सी०वी०टी० के अंतर्गत आई०टी०आई० उतीर्ण (सत्र 2018 तक प्रवेशित)

वर्ग-4 : अन्य अभ्यार्थी (अभ्यार्थी जो उपरोक्त तीन वर्गों में नहीं आते, सत्र 2019 एवं उसके बाद एस०सी०वी०टी० के अंतर्गत प्रवेशित एवं आई०टी०आई० उतीर्ण प्रशिक्षणार्थियों सहित)

1. वर्ग-1 के अंतर्गत आने वाले अभ्यार्थी सी०टी०एस० के अंतर्गत उतीर्ण व्यवसाय के

Scanned with CamScanner

समवर्ती व्यवसाय में प्राईवेट अभ्यार्थी के तौर पर आवेदन करने हेतु योग्य हैं, अभ्यार्थियों के पास सी०टी०एस० के अंतर्गत किसी भी एक व्यवसाय का राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र होना अनिवार्य चाहिए तथा समवर्ती व्यवसाय हेतु शैक्षिक योग्यता इत्यादि की शर्तों को पूर्ण करते हों। (Annexure-III समवर्ती व्यवसायों की सूची)

इसके अतिरिक्त, अभ्यार्थी का आई०टी०आई० उतीर्ण करने के पश्चात् समवर्ती व्यवसाय में स्थापना जो कि Apprenticeship पोर्टल पर पंजीकृत हो तथा Apprenticeship Training Scheme (ATS) का क्रियान्वन करती हो या MSMEs के अंतर्गत पंजीकृत हो या संस्थाएं जो की किसी सरकारी/ स्थानीय अधिकारी/ फैक्टरी एक्ट 1948 के अंतर्गत पंजीकृत दुकानें तथा संबन्धित राज्य की स्थापना एवं दुकानों के लिए लागू एक्ट से एक वर्ष का अनुभवन होना आवश्यक है।

2. वर्ग-2 में सी०ओ०ई० के अंतर्गत पास प्रशिक्षणार्थी सी०टी०एस० के अंतर्गत वांछित व्यवसाय जिसमें वह प्राइवेट अभ्यार्थी के तौर पर परीक्षा देना चाहता है की न्यूनतम निर्धारित प्रवेश योग्यता एवं पात्रता मापदंड पूर्ण करता हो। Annexure-IV में सी०ओ०ई० व्यवसाय की सी०टी०एस० व्यवसाय के साथ मैपिंग दी गई है। अभ्यार्थी केवल सम्बन्धित/ मैप किए गए व्यवसाय में ही सी०टी०एस० के अंतर्गत प्राईवेट अभ्यार्थी के तौर पर पंजीकृत करना होगा।

अभ्यार्थी का सी०ओ०ई० प्रशिक्षण समाप्त करने (परीक्षा परिणाम घोषणा तिथि से प्राइवेट अभ्यार्थी के तौर पर आवेदन करने की तिथि) के पश्चात एक वर्ष का अंतराल होना आवश्यक है।

इस एक वर्ष के अंतराल में, अभ्यार्थी का वांछित व्यवसाय में स्थापना जो कि Apprenticeship पोर्टल पर पंजीकृत हो तथा Apprenticeship Training Scheme (ATS) का क्रियान्वन करती हो या MSMEs के अंतर्गत पंजीकृत हो या संस्थाएं जो की किसी सरकारी/ स्थानीय अधिकारी/ फैक्टरी एक्ट 1948 के अंतर्गत पंजीकृत दुकानें तथा संबन्धित राज्य की स्थापना एवं दुकानों के लिए लागू एक्ट से एक वर्ष का अनुभवन होना आवश्यक है।

3. वर्ग-3 में सत्र 2018 तक एस०सी०वी०टी० के अंतर्गत प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों हेतु प्राइवेट तौर पर अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा में बैठने का प्रावधान रखा है।

4. वर्ग-4 में अन्य इच्छुक अभ्यार्थी जो कि उपरोक्त तीन वर्गों में नहीं आते हैं एवं सत्र 2019 एवं उसके बाद एस०सी०वी०टी० के अंतर्गत प्रवेशित एवं आई०टी०आई० उतीर्ण प्रशिक्षणार्थियों सहित वांछित सी०टी०एस० व्यवसाय जिसमें वह प्राइवेट अभ्यार्थी के तौर

Scanned with CamScanner

पर परीक्षा देना चाहता है की न्यूनतम निर्धारित प्रवेश योग्यता एवं पात्रता मापदंड पूर्ण करता हो।

अभ्यार्थी की आवेदन करने के समय न्युनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है।

अभ्यार्थी का वांछित व्यवसाय में स्थापना जो कि Apprenticeship पोर्टल पर पंजीकृत हो तथा Apprenticeship Training Scheme (ATS) का क्रियान्वन करती हो या MSMEs के अंतर्गत पंजीकृत हो या संस्थाएं जो की किसी सरकारी/ स्थानीय अधिकारी/ फैक्टरी एक्ट 1948 के अंतर्गत पंजीकृत दुकानें तथा संबन्धित राज्य की स्थापना एवं दुकानों के लिए लागू एक्ट से आवेदन करने के समय कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।

प्राईवेट अभ्यार्थियों के प्रवेश हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थानों की पात्रताः

1. सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जिनकी ग्रेडिंग 2.0 या उससे उपर है वे ही प्राइवेट अभ्यार्थियों को प्रवेशित कर सकते हैं।
2. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की सम्बन्धित व्यवसाय में एन०सी०वी०टी० से सम्बद्धता होना अनिवार्य है जिसमें वे प्राइवेट अभ्यार्थियों को प्रवेश देना चाहते हैं।
3. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के सम्बन्धित व्यवसाय में सी०टी०एस० के अंतर्गत नियमित प्रशिक्षणार्थी होना अनिवार्य है जिसमें वे प्राइवेट अभ्यार्थियों को प्रवेश देना चाहते हैं।
4. सम्बन्धित व्यवसाय की कुल प्रवेश क्षमता की अधिकतम 10 प्रतिशत सीटों पर ही वर्ग 1, 3 एवं 4 के अंतर्गत आने वाले अभ्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकता है। वर्ग 2 के अंतर्गत आने वाले अभ्यार्थियों को प्रवेश देने हेतु 10 प्रतिशत क्षमता की छूट होगी।

5. उपरोक्त शर्तों के अनुसार केवल जिस व्यवसाय में अभ्यार्थी का अनुभव होगा उसी में वह प्राइवेट अभ्यार्थी के तौर पर अनुमति हेतु आवेदन कर सकता है अनुभव प्रमाण पत्र मूल रूप में मामले के साथ संलग्नित होना चाहिए
6. फार्म को अच्छी तरह से जांच करने के पश्चात ही प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाए, जिसमें दिनांक स्थान वह स्पष्ट कार्यालय मोहर लगी हुई होनी चाहिए।
7. फार्म का एक ही सेट निदेशालय को अनुमति हेतु भेजा जाए।
8. सरकारी विभागों के कर्मचारियों के फार्म के साथ उनका विभाग द्वारा परीक्षा में बैठने हेतु जारी अन्नापत्ति प्रमाण पत्र जिसमें उनका पद नाम स्पष्ट दर्शाया गया हो मूल रूप में

Scanned with CamScanner

सल्गित होना चाहिए इसके अतिरिक्त संबंधित पद का अनुभव प्रमाण पत्र जो उनके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षर किया हुआ हो की मूल प्रति साथ में संल्गित होनी चाहिए। सरकारी कर्मचारी का अनुभव यदि पदनाम से अलग है तो वह कार्य करने के उस विभाग द्वारा जारी कार्यालय आदेश की मूल प्रति साथ में संल्गित होनी चाहिए जैसे कि यदि बेलदार, टीमेट एवं लाइनमैन को इलैक्ट्रिशियन को अनुभव प्रमाण पत्र दिया गया हो तो इलैक्ट्रिशियन का कार्य करने हेतु उस विभाग द्वारा जारी कार्यालय आदेशों की मूल प्रति भेजना सुनिश्चित करें।

9. पूर्ण रूप से भरे हुए फार्म एवं उपरोक्त सभी प्रमाण पत्रों सहित दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र, बोनोफाईड हिमाचली, पहचान पत्र तथा शुल्क रू०500/- का बैंक ड्राफ्ट (निदेशक, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण हिमाचल प्रदेश, सुन्दरनगर के पक्ष में) साथ संल्गित कर दिनांक 01-03-2021 तक निदेशालय में पहुंच जाने चाहिए, इस तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

(विवेक चन्देल)
निदेशक,
तकनीकी शिक्षा,
व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण,
हिमाचल प्रदेश सुंदरनगर।

Scanned with CamScanner